संख्या-817/2017/1942/22-2-2017-17(360)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2017***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुहीम पुत्र श्री दीन मोहम्मद निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28857/प्रोबे0-5-दया0/952, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुहीम पुत्र श्री दीन मोहम्मद जो जटा, थाना-उसहैत, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में झगडे की रंजिश को लेकर दिनांक 05-08-2002 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-685/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 तथा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-2, बदायूँ के आदेश दिनांक 05.12.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.01.2017 तक 13 वर्ष 02 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 07 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 05 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी मुहीम (बन्दी संख्या-42638) पुत्र श्री दीन मोहम्मद निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-817/2017/1942/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in